



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 604 राँची, मंगलवार,

7 दिसम्बर, 2021 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2021

संख्या- सी०एस० 01/आर०-05/2021- 1268-भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या- 07, दिनांक 16.11.2000 द्वारा बनाई गई "झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित)" तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग की अधिसूचना संख्या-1235, दिनांक 13.07.2015 के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-471, दिनांक 12.04.2021 द्वारा किये गये संशोधन के क्रम में, "झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित)" के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

- (i) झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (विभागीय अधिसूचना संख्या-471, दिनांक 12.04.2021 द्वारा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-05 पर अंकित योजना एवं विकास विभाग के कार्य दायित्व के अन्तर्गत क्रम संख्या (iii) को विलोपित करते हुए, कार्य दायित्व के शेष क्रमांक को तदनुसार संशोधित किया जाता है ।
- (ii) झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-11 पर अंकित "नगर विकास एवं आवास विभाग" की उप कंडिका 'क' में अंकित "नगर विकास" के कृत्यों की सूची (xvi) के पश्चात एक नया क्रमांक (xvii) "ग्रेटर रांची से संबंधित योजना" को जोड़ा जाता है ।
2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
